राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2574/2022

डॉ. अरूण सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.07.2022
आदेश की दिनांक : 02.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से : श्री राकेश कुमावत, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी वर्तमान में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर बड़गांव, गोगुंदा, उदयपुर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 25.07.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी डॉ. गणपत सिंह चौधरी का स्थानांतरण जिला चिकित्सालय, सलूंबर उदयपुर से अपीलार्थी के स्थान पर बी.सी.एम.ओ. बड़गांव, गोगुन्दा, उदयपुर में किया गया और अपीलार्थी का कहीं भी स्थानांतरण नहीं किया गया। उनके अधिवक्ता का कथन है कि निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण जिले में ही एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में किया गया, जो केवलमात्र निजी प्रत्यर्थी को लाभ देने की गरज से नियम–8(ii) राजस्थान पंचायती राज (अंतरित क्रियाकलाप) नियम–2011 के विरूद्ध जाकर प्रस्तुत किया गया है। आलौच्य आदेश केवलमात्र निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से दुर्भावनापूर्वक जारी किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि पूर्व में निर्जी प्रत्यर्थी संख्या–4 बड़गांव में पदस्थापित थे, तब उनके विरूद्ध अनियमितता की शिकायत पर उन्हें निलंबित किया गया था।

उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है और निजी प्रत्यर्थी चिकित्सा अधिकारी है। ऐसे में अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी को पदस्थापित नहीं किया जा सकता है। इस अपील में अधिकरण द्वारा दिनांक 31.08.2022 को अंतरिम आदेश पारित कर आलोच्य आदेश दिनांक 25.07.2022 की पालना में अधिकरण के आगामी आदेश तक अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किये जाने और वहीं कार्यरत रखे जाने के आदेश दिये थे एवं प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये थे।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि स्थानांतरण आदेश दिनांक 25.07.2022 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं व्यापक जनहित को देखते हुये नियमानुसार राज्यहित में जारी किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है तथा ना ही उक्त आदेश दुर्भावनापूर्ण आशय से जारी किया गया है। यह भी कथन किया गया है कि माननीय अधिकरण में अपील संख्या 157/2019 में डॉ. गणपत चौधरी तत्कालीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, द्वारा स्थगन प्राप्त कर खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव का कार्यभार निरंतर संपादित किया जा रहा था। माननीय अधिकरण में अपील संख्या 157/2019 में अंतरिम आदेश पारित किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 08.07.2019 को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बड़गांव में कार्यरत रहना सही नहीं है।

3. निजी प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 25.07.2022 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी को बी.सी.एम.ओ. बड़गांव गोगुंदा के पद पर लगाया गया था। यह भी अंकित किया है कि पूर्व में आदेश दिनांक 04.07.2019 के जरिये निजी प्रत्यर्थी गणपत सिंह चौधरी का स्थानांतरण खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव, गोगुंदा, उदयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव, उदयपुर में किया गया था। जिस आदेश को निजी प्रत्यर्थी गणपत सिंह चौधरी ने अपील संख्या 157/2019 के जरिये इस अधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी, जिसमें अधिकरण ने अंतरिम आदेश दिनांक 17.09.2019 पारित कर स्थानांतरण आदेश की क्रियान्विति स्थगित की थी। निजी प्रत्यर्थी का यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी ने कभी भी वर्तमान स्थान पर ज्वोइनिंग नहीं दी है।

4. हमनें दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। आलौच्य आदेश दिनांक 25.07.2022 के जरिये निजी प्रत्यर्थी डॉ. गणपत सिंह चौधरी, चिकित्सा अधिकारी का स्थानांतरण

जिला चिकित्सालय, सलूम्बर, उदयपुर से बीसीएमओ, बड़गांव गोगुन्दा उदयपुर के पद पर किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि बीसीएमओ गोगुन्दा के पद पर अपीलार्थी कार्यरत है और अपीलार्थी का स्थानांतरण किये बिना निजी प्रत्यर्थी को वहां पर लगाया गया है, जो गलत है। न्यायालय के समक्ष जो तथ्य प्रकट हुये है, उससे यह प्रकट होता है कि पूर्व में आदेश दिनांक 03.07.2019/04.07.2019 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव, गोगुंदा, उदयपुर में पदस्थापित किया गया था और निजी प्रत्यर्थी को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़गांव, उदयुपर पदस्थापित किया गया था। उक्त स्थानांतरण आदेश के पश्चात दिनांक 08.07.2019 को अपीलार्थी ने खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव, के पद पर कार्यग्रहण कर लिया।

5. यह तथ्य प्रकट हुये हैं कि उक्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 03.07.2019 को गणपत सिंह चौधरी निजी प्रत्यर्थी ने इस अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 157/2019 के जरिये चुनौती दी थी, जिस पर गणपत सिंह चौधरी के संबंध में स्थानांतरण को स्थगित रखे जाने के आदेश दिये थे। यह भी तथ्य प्रकट हुये हैं कि आदेश दिनांक 01.12.2021 के जरिये गणपत सिंह चौधरी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव, गोगुंदा, उदयपुर को निलंबित किया गया था और उनके निलंबन के पश्चात अपीलार्थी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव, गोगुंदा, उदयपुर के पद पर कार्य कर रहा था। वर्तमान आलौच्य आदेश में डॉ. गणपत सिंह चौधरी को खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव, उदयपुर में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाना दर्शाया गया, जबकि उपरोक्त तथ्यों से प्रकट होता है कि खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव के पद पर अपीलार्थी कार्यरत है। पूर्व में आदेश दिनांक 03.08.2019 के जरिये अपीलार्थी का पदस्थापन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बड़गांव, उदयपुर में किया गया था और वहां पर उन्होंने कार्यग्रहण कर लिया था। इसके पश्चात् निजी प्रत्यर्थी को निलंबित भी किया जा चुका था और निलबंन के पश्चात अपीलार्थी उसी पद पर कार्यरत थे। अतः निजी प्रत्यर्थी का स्थानांतरण रिक्त पद दर्शाते हुए किया जाना उचित प्रकट नहीं हेाता है। यह भी प्रकट होता है कि निजी प्रत्यर्थी जिस स्थान पर रहते हुए निलंबित किये गये थे, उन्हें उसी पद पर पुनः लाने की दृष्टि से स्थानांतरण आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण रिक्त पद नहीं होते हुए भी निजी प्रत्यर्थी का पदस्थापन किया जाना उचित नहीं हैं।

6. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 31.08.2022 की पुष्टि की जाती है। निजी प्रत्यर्थी के संबंध में पारित स्थानांतरण आदेश 25.07.2022 (अनुलग्नक–1) अपास्त किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निजी प्रत्यर्थी विभाग निजी प्रत्यर्थी/अपीलार्थी का नये सिरे से स्थानांतरण/पदस्थापन आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)